न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 36 / 24 वाद GCMS NO : 2024/00111

1. श्रीमती पुष्पा पुत्री श्री वरदा जी डांगी, पत्नी श्री भंवरलाल डांगी, निवासी लोयरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर
2. श्रीमती पेमी बाई पुत्री श्री वरदा जी डांगी, पत्नी श्री भेरा जी डांगी, निवासी खरवडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. शिवलाल पिता श्री गणेश जी डांगी, निवासी मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. रामलाल पिता श्री चौखा डांगी, निवासी मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. भेरा पिता श्री रता डांगी, निवासी मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4 तुलसीराम डांगी पिता उदा डांगी, निवासी– मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, उदयपुर
5. उंकारलाल डांगी पिता उदा डांगी, निवासी– मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, उदयपुर
6. नवलराम डांगी पिता उदा डांगी, निवासी– मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, उदयपुर
7. लालूराम डांगी पिता वरदा डांगी, निवासी– मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री कैलाश नागदा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता विपक्षी 1, 2 व 4 से 7
श्री मनीष शर्मा विपक्षी संख्या 3

निर्णय

दिनांक : 11.06.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर मनवाखेड़ा में ही निवास करते है। वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:20:00 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा में ही स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 645, 646, 647, 648, 775, 776, 797, 798, 799, 1748, 1749, 1792, 1793, 1794, 1795, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975 कुल किता 20 कुल रकबा 2.1900 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरूष केरिंग जी थे जिनका स्वर्गवास हो गया जिनके दो पुत्र रता व देवा हुए। उन दोनो का भी स्वर्गवास हो गया। रता जी एक पुत्र भेरा हुआ जो विपक्षी संख्या 3 है। देवा जी के चार पुत्र वरदा, चौखा, उदा व सवा हए जिसमे सवा लाऔलाद फौत हुआ तथा वरदा व चौखा का भी स्वर्गवास हो गया तथा उदा जो मूल दावे मे प्रतिवादी संख्या 6 है, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान विपक्षी संख्या 4 से 6 है। वरदा जी के एक पुत्र लालु तथा दो पुत्रियां पुष्पा व पेमी बाई है, जो प्रार्थीगण है। चौखा के दो पुत्र गणेश व रामलाल है, जिसमे से गणेश का स्वर्गवास हो गया। उनकी विधवा श्रीमती वरदी बाई तथा एक पुत्र शिवलाल तथा दो पुत्रियां मांगी बाई व मीना है, दोनो अपने ससुराल रहती है श्रीमती वरदीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिये उन्हे इस प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया जा रहा है। प्रार्थीगण मृतक वरदा जी की पुत्रियां है जिसे उनका भी हक उक्त भूमि में निहित है किन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के परोक्ष मे उक्त सारी भूमि का अंकन अपने नाम करवा लिया जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार विद्यमान नहीं है। वादग्रस्त भूमि मे भेरा जी का 1/2 हिस्सा तथा वरदा, चौखा व उदा जी का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार मृतक देवा जी की भूमि मे प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 7 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है तथा चौखा जी का 1/3 हिस्सा तथा उदा जी का 1/3 हिस्सा है। विपक्षी संख्या 1 के ससुर व विपक्षी संख्या 2 के पिता व विपक्षी संख्या 4 से 6 के दादा ने मिलकर उक्त भूमि को गुप्त रूप से अपने नाम करवा लिया जबकि उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के पिता वरदा जी का हिस्सा है। विपक्षी संख्या 1 से 6 धनाढ्य व्यक्ति है जो रूपयो के बल पर प्रार्थीगण की भूमि को हडपना चाहते है जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार है। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण ता–फैसला वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी तरह से रहन, बेह, बक्षीस नही करे और उक्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नही करे, उक्त कार्य स्वयं नही करे व न ही अपने नौकर, एजेन्ट, कर्मचारी आदि से करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से जवाब मय प्रारभिक आपत्ति पेश कर कथन किया गया कि उक्त मामले में इसी दावे में पूर्व में प्रार्थीगण ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका जबाब विपक्षीगण की ओर से पेश किया जा चुका है तथा कथित अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए प्रार्थीगण तैयार नहीं थे तथा उसने जानबूझकर अपना प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अदमहाजरी व अदमपैरवी में खारिज करवा दिया गया तथा [illegible] में पुनः आदेश 9 नियम 9 का प्रार्थना पत्र सन् 2020 में पेश किया था [illegible] भी पुनः अदमहाजरी में खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:20:00 IST
Reason: SelfAttested

करवा दिया गया जिसके मुकदमा नम्बर 5 / 2020 विविध है। जब मूल प्रार्थना पत्र व रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र अदमहाजरी में व अदमपैरवी में खारिज करवा दिया गया तो पुनः रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र को नम्बर पर लेने के लिए आदेश 9 नियम 9 के तहत ही प्रार्थना पत्र लाया जा सकता है। नया प्रार्थना पत्र पेश करने से प्रार्थी वार्ड है ऐसी स्थिति में यह अस्थाई निषेधाज्ञा का नया प्रार्थना पत्र पेश किया जो आदेश 9 नियम 9 से बार्ड होने से इसी आधार पर निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण का सजरा गलत बताया गया है, वरदा देवा का लडका नहीं होकर वरदा अमरा का लड़का है यानि वरदा पिता अमरा है इसी प्रकार चोखा के पांच लड़कियां हैं जिन्हें भी सजरे में नहीं बताया गया है न ही उन्हें पार्टी बनाया गया है। चोखा के जडावीबाई, नंदूबाई, अम्बाबाई, लक्ष्मीबाई व दोलीबाई हैं जिन्हें इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता का एक भी दिन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है क्योंकि वरदा कभी भी देवा का लडका नही रहा है, वरदा अमरा का लडका था तथा अमरा की सारी जायदाद उसी के नाम पर रही थी व वरदा के मरने पर अमरा की जायदाद लालू के खाते दर्ज हुई जो प्रार्थीगण का भाई होकर विपक्षी संख्या 8 है तथा प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के हेडिंग में विपक्षी संख्या 7 का नाम ही नहीं दिया है। अमरा की जायदाद पर अभी भी लालू का ही कब्जा है। अमरा जी की जायदाद से विपक्षीगण लालू व प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीगण वरदा जी की पुत्रियां होगी इसका ज्ञान विपक्षीगण को नही है क्योंकि वरदा जी की जायदाद थी उस पर लालू का कब्जा है एवं वरदा जी के पास वो ही जायदाद आयी जो अमरा जी के पास थी। वादग्रस्त भूमि नियमानुसार विपक्षीगण के नाम दर्ज हुई है, पूर्व में भी लालू द्वारा वाद पेश किया गया था व जब लालू ने सोचा कि उसका विवादित जायदाद में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा उसने अपना दावा वापस उठा लिया व उसका प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। वादग्रस्त भूमि में भेरा जी का 1 / 2 हिस्सा व चौखा व उदा का संयुक्त रूप से 1 / 2 हिस्सा है, देवा के केवलमात्र दो ही लडके चौखा व उदा ही थे। वरदा नामका कोई व्यक्ति नही था यहां तक कि सवा नामका कोई व्यक्ति नही था। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जाये।

विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में मुझ विपक्षी का 1 / 2 हिस्सा, तथा चोखा व उदा का 1 / 2 हिस्सा होना स्वीकार ह है। मैं विपक्षी श्री रता का पुत्र होने से तथा श्री रता का वादग्रस्त भूमि में 1 / 2 हिस्सा होने से उक्त हिस्सा मुझ विपक्षी के नाम अंकित है जिससे प्रार्थीया का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीया का मुझ विपक्षी की भूमि से कोई सम्बन्ध नही है जिससे हस्तगत प्रार्थना–पत्र मुझ विपक्षी के विरूद्ध गलत तरीके से झूठा दबाव बनाने हेतु प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। मुझ विपक्षी का वादग्रस्त भूमि में 1 / 2 हिस्सा होने से नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित है प्रार्थीया का मुझ विपक्षी से कोई सम्बन्ध नही है। मुझ विपक्षी के हिस्से पर मैं काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं प्रार्थीया मुझ विपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की अधिकारी नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:20:00 IST
Reason: SelfAttested

है। पूर्व में प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जो खारिज हो गया व उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज होने के बाद में प्रार्थीया ने इतने समय तक न तो प्रार्थना–पत्र की कोई अपील की व अब केवल हमे हैरान व परेशान करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पूर्व वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रेषित किया है जो कानूनन पोषणीय नहीं है जहां तक मुझ विपक्षी द्वारा वाद उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के यहां प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है उक्त वाद मुझ विपक्षी द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने सहखातेदारी हिस्से के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया है व नियमानुसार सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया है प्रार्थीया उक्त विभाजन के वाद में सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार नही है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जायें।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित अपने अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य है, वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरूष केरिंग जी थे जिनके दो पुत्र रता व देवा हुए। केरिंग जी की मृत्यु पश्चात् रता जी एक पुत्र भेरा हुआ तथा देवा जी के चार पुत्र वरदा, चौखा, उदा व सवा हए। जिसमे सवा लाऔलाद फौत हुआ तथा वरदा जी के एक पुत्र लालु तथा दो पुत्रियां पुष्पा व पेमी बाई है, जो प्रार्थीगण है। चौखा के दो पुत्र गणेश व रामलाल है। इस प्रकार प्रार्थीगण मृतक वरदा जी की पुत्रियां है जिसे उनका भी हक उक्त भूमि में निहित है किन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के हिस्से की भी जमीन का नांमाकन अपने नाम पर करवा लिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि मे भेरा जी का 1/2 हिस्सा तथा वरदा, चौखा व उदा जी का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण वरदा जी के वारिसान होने से वरदा जी के हक व हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है। विपक्षीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को हड़पना चाहते है। अतः निवेदन है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व विपक्षीगण के परिवार का सजरा गलत बताया गया है, वरदा देवा का लडका नहीं होकर वरदा अमरा का लड़का है यानि वरदा पिता अमरा है इसी प्रकार चोखा के पांच लड़कियां हैं जिन्हें भी सजरे में नहीं बताया गया है न ही उन्हें पार्टी बनाया गया है। वरदा अमरा का लडका था तथा अमरा की सारी जायदाद उसी के नाम पर रही थी व वरदा के मरने पर अमरा की जायदाद लालू के खाते दर्ज हुई जो प्रार्थीगण का भाई होकर विपक्षी संख्या 8 है वादग्रस्त भूमि नियमानुसार विपक्षीगण के नाम दर्ज हुई है, पूर्व में भी लालू द्वारा वाद पेश किया गया था व जब लालू ने सोचा कि उसका विवादित जायदाद में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा उसने अपना दावा वापस उठा लिया व उसका प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। वादग्रस्त भूमि में भेरा जी का 1/2 हिस्सा व चौखा व उदा का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा [illegible] केवलमात्र दो ही लडके चौखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:20:00 IST
Reason: SelfAttested

व उदा ही थे। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीात से कोई लेना देना नही है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश किए गएः—

1. RRT 2006-07 (supp.) Saraswati Devi (smt.) vs Maharao Brajraj Singh & Anr. Page No 591
2. R.R.T. 2023 (2) Shubhraj Singh vs. Virendra Singh Revision T.A. no. 1816/ Nagaur of 2010 Page No. 1303
3. R.R.T. 2023 (2) Suresh vs. Sukhveer Revision T.A. no. 6157/ Sikar of 2022 Page No. 919
4. R.R.T. 2018-19 (supp.) Achlaram vs. Bhairaram Revision T.A. no. 3349/ Jodhpur of 2015 Page No. 531
5. R.R.T. 2018-19 (sup.) Page No. 618

विपक्षीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश किए गएः—

1. R.B.J. Devisingh Vs Babulal Revison no 169/96/TA/jaipur Page no 468
2. R.R.T. 2011 (1) Shafi Mohammad vs. Modu & Ors. Page No. 612
3. R.R.T. 2014 (1) Kaushlya vs. Chotu Revison no 120/Jaipur of 2003 Page No. 587
4. R.R.T. 2003 (2) Bagdawat Singh & Ors. vs. Ramveer Singh & Anr. No. 1282
5. R.R.T. 2013 (1) Kalu & Ors. vs. Jagdish Prashad & Ors. Revision TA Nos. 665 & 666/ Jaipur of 2007 Page No. 133
6. R.R.T. 2017 (1) Kamlesh (Smt.) vs. Ranjeet Singh & Anr. Revision TA No. 1158/ Sriganganagar of 2014 Page No. 259
7. R.R.T. 2016-17 (sup.) Malkuyat Kaur vs. Malkiya Kaur Revision TA No. 143/ Sriganganagar of 2007 Page No. 637
8. R.R.T. 2006 (2) Madan lal. vs. Tikkuram Revision TA No. 161/ Sikar of 2004 Page No. 1410

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 13:20:00 IST
Reason: SelfAttested

9. R.B.D. 1997 (1) Pusiya vs. Rambharosi Revision No. 29/ Bharatpur of 95 Page No. 30
10. R.R.T. 2015 (1) Jhanwari Lal & Ors. vs. The Board of Revenue & Ors. S.B. Civil Writ Petition No. 2151 of 2014 Page No. 560
11. R.R.T. 2013 (2) Rameshi vs. Kajod & Ors. Revision TA No. 5212 / Jaipur of 2009 Page No. 828
12. R.R.T. 2016 (2) Naseeb Kaur vs. Rameshwari Devi & Ors. Revision TA No. 3652/ Sriganganagar of 2015 Page No. 1144
13. R.R.T. 2016 (2) Omprakash & Anr. vs. Dwarka prashad & Ors. Revision TA Nos. 6878 & 6879/ Alwar of 2010 Page No. 1323

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरा कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया एवम् अप्रार्थी द्वारा बताया कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को अर्पूणीय क्षति होगी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने खाता संख्या 250, 251, 11, 301 की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खाता संख्या 96, 132 की जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 की छाया प्रति, नामन्तरण 242 की प्रमाणित प्रति, खाता संख्या 115 की जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 की प्रमाणित प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.09.2006 को निष्पादित की छाया प्रति, मिलान क्षेत्रफल की छायाप्रति इत्यादि प्रस्तुत की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः** – उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीगण का है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरूष केरिग जी थे। उसके बाद उनके दो पुत्र रता व देवा हुए। रता जी के एक पुत्र भेरा व देवा जी के चार पुत्र वरदा, चौखा, उदा व सवा हुए। सवा लाऔलाद फौत हुआ। वरदा जी के एक पुत्र लालू (विपक्षी संख्या 7) व दो पुत्रियां पुष्पा व पेमी बाई है, जो प्रार्थी[illegible] इस प्रकार प्रार्थीगण मृतक वरदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:20:00 IST
Reason: SelfAttested

के वारिसान होने से उनका वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित है, जबकि विपक्षीगण अनुसार मृतक वरदा देवा का लड़का नहीं होकर अमरा का लड़का है, तथा अमरा की सारी जायदाद वरदा के नाम एवं वरदा की मृत्यु के पश्चात् लालू के खाते दर्ज हुई, जो प्रार्थीगण का भाई है। वरदा जी वादग्रस्त आराजीयात के पूर्वाधिकारी देवा जी के पुत्र नहीं है जिससे वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। वरदा जी अमरा जी के पुत्र है जिससे अमरा जी की सम्पति में उनका हिस्सा है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत दृष्टांत जिसमें **माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर R.R.T. 2003 (2) Bagdawat Singh & Ors. vs. Ramveer Singh & Anr. No. 1282 में अभिनिर्धारित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 पक्षकारों के बीच घोषणा हेतु वाद विचाराधीन है–वर्तमान मे अप्रार्थीगण भूमि के रेकार्डेड खातेदार है–भूमि के क्रेता ने रेकार्डेड खातेदार से भूमि क्रय की तथा वह सद्भावी क्रेता है–प्रार्थीगण के कब्जे में बिना जॉच किये विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत नही था– रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है यदि प्रार्थी भूमि के कब्जे में हो तथा प्रथम दृष्ट्या मामला बनता हो–प्रार्थीगण का कब्जा साबित कराने हेतु राजस्व अभिलेख नहीं–अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रेकार्डेड खातेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता है।** उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है रेकार्डेड खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों के माध्यम से स्पष्ट पक्षकारों के मध्य विवाद का स्पष्ट अंकन को उल्लेखित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पति किस प्रकार है, अथवा विपक्षीगण द्वारा उल्लेखित बिन्दु वरदा जी देवा के पुत्र नहीं होकर अमरा जी के पुत्र है, इस बिन्दु को भी प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है तथा प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा हो, इस सम्बन्ध में भी प्राथीगण द्वारा कोई स्पष्ट दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार है, तथा उपभयपक्ष के मध्य घोषणा का वाद वर्तमान में विचारधीन है। प्रार्थीगण का विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

2. **अपूरणीय क्षतिः**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को उनके हक हिस्से से वंचित होना वह अपने अधिकारी से वंचित हो जाएगा को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार है। अपूरणीय क्षति विपक्षी के पक्ष में हो[illegible]र्थीगण को विवादित आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:20:00 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण व विपक्षी अपने अपने हक व हिस्से अनुसार कृषि कार्य करते है, जिस पक्षकार का जो हिस्सा होता है वह उस हिस्से में भूमि सुधार करता है। प्रार्थीगण ना ही रेकार्डेड खातेदार है ना ही वादग्रस्त आराजीया पर अपने कब्जे को सिद्ध कराया गया है। अतः अर्पूणीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में होने के कारण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विपक्षीगण खातेदार होने से विपक्षीगण के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 13:20:00 IST
Reason: SelfAttested